भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *329

24.03.2025 को उत्तर के लिए

वन/हरित क्षेत्र

***329. प्रो. सौगत रायः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्यवार कितना वन/हरित क्षेत्र है;

(ख) क्या सरकार ने आरक्षित वनों में बांस जैसे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, ताकि आरक्षित बनों के आस-पास के आवास क्षेत्रों में वन्यजीव संबंधी अतिक्रमण की स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण का कृषि भूमि में वृक्षारोपण को वनाच्छादन मानने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“वन/हरित क्षेत्र” के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *329 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ एक संगठन है, द्विवार्षिक आधार पर देश के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करता है और इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाते हैं। वन आवरण का आकलन रिमोट सेंसिंग पर आधारित पूरे क्षेत्रफल के मानचित्रण की प्रक्रिया है जो गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र डेटा द्वारा समर्थित है।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर वन आवरण और 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। वर्ष 2021 के विगत आकलन की तुलना में वर्तमान आकलन वन एवं वृक्ष आवरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। इसमें 156.41 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में तथा 1289.40 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण में वृद्धि शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): वन और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है, जिनके पास वन प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रणाली है। भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजनाएँ मुख्य साधन हैं। भारत में वनों का प्रबंधन कई कारणों से किया जाता है, जैसे पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना, प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना, मृदा अपरदन और जलग्रहण क्षेत्रों में हरित आवरण को नष्ट होने से रोकना, टीलों के विस्तार को रोकना, लोगों की भागीदारी से वृक्ष और वन क्षेत्र को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता बढ़ाना और वन्यजीव संरक्षण आदि। वनों के संरक्षण और विकास में मुख्य रूप से प्राकृतिक/कृत्रिम पुनर्जनन, सुरक्षा और प्रबंधन के माध्यम से वनरोपण जैसी कार्यनीतियाँ शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत वनरोपण/वृक्षारोपण के लिए प्रजातियों का चयन पारिस्थितिक दशाओं और अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर किया जाता है। वन क्षेत्रों में बहु-उपयोगी वृक्षों को महत्व देते हुए वृक्षारोपण के लिए देशी वन प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाता है। वन प्रबंधन योजनाओं में वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता के लिए निर्धारित कार्यकलाप शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं, नामत: "वन्यजीव पर्यावासों का विकास" और "बाघ एवं हाथी परियोजना" के अंतर्गत, संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन, मानव-पशु संघर्ष उपशमन, वन्यजीव पर्यावासों और गलियारों के संरक्षण, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों की बहाली आदि मुद्दों का समाधान करने के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। "वन्यजीव पर्यावासों के विकास" के अंतर्गत कार्यकलापों में वन्यजीव पर्यावासों का संरक्षण और

प्रबंधन भी शामिल है जैसे खरपतवारों का उन्मूलन, घास के मैदानों का विकास और हरित क्षेत्र के संवर्धन हेतु वृक्षारोपण।

(घ) और (ड.): क्योटो प्रोटोकॉल के निर्णय 19/सीपी.9 के अनुसार, वन की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है, जो देश की क्षमताओं और योग्यताओं पर निर्भर करती है। तदनुसार, भारत ने वन की संरचनात्मक परिभाषा को अपनाया है जिसके अनुसार वन वह क्षेत्र है जिसमें कम से कम 10% वृक्ष वितान आवरण हो और जिसमें कम से कम 1 हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र हो जहां वृक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावास में पूर्णत: विकसित होने पर न्यूनतम 2 मीटर की ऊँचाई तक बढ़ने की संभावना रखते हैं।

तदनुसार, आईएसएफआर के अनुसार, "वन आवरण" से तात्पर्य एक हेक्टेयर से अधिक या उसके बराबर की ऐसी सभी भूमि से है, जिसमें 10% से अधिक या उसके बराबर वृक्ष वितान है चाहे स्वामित्व और कानूनी स्थिति कुछ भी हो; और इसमें फलों के बाग, बांस और ताड़ के पेड़ शामिल हैं। इसलिए, कृषि भूमि में वन आवरण के रूप में खेती किए जाने को वनाच्छादन में शामिल किया जाता है यदि वे उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करते हों।

*****

अनुलग्नक-I

'वन/हरित क्षेत्र' के संबंध में प्रो. सौगत राय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *329 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वनावरण	वृक्षावरण	वन और वृक्ष आवरण
1	आंध्र प्रदेश	30,084.96	5,340.02	35,424.98
2	अरुणाचल प्रदेश	65,881.57	1,201.63	67,083.20
3	असम	28,313.55	2,101.46	30,415.01
4	बिहार	7,532.45	2,370.21	9,902.66
5	छत्तीसगढ	55,811.75	6,538.70	62,350.45
6	दिल्ली	195.28	176.03	371.31
7	गोवा	2,265.72	257.82	2,523.54
8	गुजरात	15,016.64	6,632.29	21,648.93
9	हरियाणा	1,614.26	1,693.02	3,307.28
10	हिमाचल प्रदेश	15,580.35	855.07	16,435.42
11	झारखंड	23,765.78	3,637.55	27,403.33
12	कर्नाटक	39,254.27	7,779.15	47,033.42
13	केरल	22,059.36	2,905.94	24,965.30
14	मध्य प्रदेश	77,073.44	8,650.14	85,723.58
15	महाराष्ट्र	50,858.53	14,524.88	65,383.41
16	मणिपुर	16,585.46	209.82	16,795.28
17	मेघालय	16,966.84	720.56	17,687.40
18	मिजोरम	17,990.46	567.80	18,558.26
19	नगालैंड	12,222.47	394.02	12,616.49
20	ओडिशा	52,433.56	6,163.45	58,597.01
21	पंजाब	1,846.09	1,475.15	3,321.24
22	राजस्थान	16,548.21	10,841.12	27,389.33
23	सिक्किम	3,358.40	48.33	3,406.73
24	तमिलनाडु	26,450.22	5,370.72	31,820.94
25	तेलंगाना	21,179.04	3,517.66	24,696.70
26	त्रिपुरा	7,584.77	247.56	7,832.33
27	उत्तर प्रदेश	15,045.80	8,950.92	23,996.72
28	उत्तराखंड	24,303.83	1,231.14	25,534.97
29	पश्चिम बंगाल	16,832.33	2,938.12	19,770.45
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6,732.92	26.97	6,759.89
31	चंडीगढ़	25.00	21.18	46.18
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	225.62	36.83	262.45
33	जम्मू एवं कश्मीर	21,346.39	3,666.97	25,013.36
34	लद्दाख	2,285.92	893.02	3,178.94
35	लक्षद्वीप	27.06	0.20	27.26
36	पुदुचेरी	44.31	28.89	73.20
	कुल	7,15,342.61	1,12,014.34	8,27,356.95

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वन और वृक्ष आवरण (आईएसएफआर 2023 के अनुसार) (क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)